



राजस्थान RAJASTHAN

B 900985

अनुबन्ध पत्र

नगर परिषद, भीलवाड़ा

प्रथमपक्ष

जिन्दल शॉ लिमिटेड जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर भारत भूषण प्रधान आत्मज श्री पी.सी. प्रधान, आयु- 52 वर्ष, निवासी, बी-34 चित्रकुट नगर, भीलवाड़ा-राज.

द्वितीयपक्ष

यह है कि मैं भारत भूषण प्रधान आत्मज श्री पी.सी. प्रधान, आयु- 52 वर्ष, निवासी-बी-34, चित्रकुट नगर, भीलवाड़ा-राज., जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक न.प.भी./अन्य राजस्व/2011/7851 दिनांक 06-09-2011 द्वारा व श्रीमान उप शासन सचिव के पत्र क्रमांक एफ 55 ()पी/एसई/डीएलबी/10/STP/भीलवाड़ा/7648 दिनांक 30.03.2011 द्वारा ग्राम कुवाड़ा में परिषद के स्वामित्व की आराजी नं. 338 (132X132) 17424 वर्गमीटर एवं 345 (50X50) 2500 वर्गमीटर में निम्नांकित शर्तों के अनुसार BOOT आधार पर 10 एम.एल.डी. क्षमता का सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने हेतु 19924 वर्गमीटर भूमि 19 वर्ष 11 माह 29 दिन के लिये निर्धारित अनुबन्ध पर आवंटन की गई है। निम्न लिखित शर्तों को दोनो पक्षकार स्वीकार करते हैं :-

भारत भूषण प्रधान
नगर परिषद, भीलवाड़ा

(Signature)

जिन्दल शॉ लिमिटेड
सचिव
नगर परिषद, भीलवाड़ा



राजस्थान RAJASTHAN

B 022364

1. फर्म मैसर्स जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा 10 एम.एल.डी. क्षमता का BOOT आधार पर STP का निर्माण करवाया जावेगा एवं फर्म द्वारा उक्त STP का 19 वर्ष 11 माह 29 दिन तक का निःशुल्क संचालन एवं रख रखाव किया जावेगा।
2. निर्धारित 10 एम.एल.डी. क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की Tentative Project Cost राशि रूपये 20.00 करोड़ है।
3. अनुबन्ध अनुमोदन के पश्चात् जिन्दल शॉ लिमिटेड से एस.टी.पी. में प्रयोग होने वाली तकनीक एवं ड्राइंग/डिजाईन किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अनुमादित करवाकर प्रस्तुत की जावेगी।
4. जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा अपने खर्चे पर टेस्ट लेबोरेट्री का प्रबन्ध किया जायेगा।
5. कार्य के सम्पादन के लिये आवश्यक पानी एवं बिजली की व्यवस्था फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर की जावेगी।
6. एस.टी.पी. के लिये स्थापित किये गये किसी भी स्ट्रक्चर के क्षतिग्रस्त/चोरी होने की स्थिति में उसके रिपेयर/बदलने/लगाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी, जिसकी समस्त लागत जिन्दल शॉ लिमिटेड स्वयं वहन करेगा।
7. प्रोजेक्ट साईट पर किसी भी सम्भावित दुर्घटना के बचाव के लिये सभी व्यवस्थायें/सावधानियां जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा रखी जावेगी।
8. प्रोजेक्ट के सम्पादन के दौरान निरीक्षण हेतु सक्षम स्तर के तकनीशियन जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
9. किसी भी प्रकार की जांच/टेस्ट के सम्बन्ध में सभी प्रकार का व्यय भुगतान जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।


आयुक्त

जिला मजिस्ट्रेट

20
जिला मजिस्ट्रेट

सभापति

नगर परिषद



A 909

10. जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा राशि रूपये 50.00 लाख नगर परिषद में द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 016925 दिनांक 08.09.2011 अग्रिम जमा किये गये हैं जिसमें से कार्य पूर्ण अवधि के अनुसार राज्य सरकार शास्ति वसूल करने व लिये स्वतंत्र होगी।
11. ऑपरेशन एवं मेन्टीनेंस की अनुबन्ध की अवधि तक समस्त जिम्मेदारी जिन्दल शॉ लिमिटेड की होगी।
12. जिन्दल शॉ लिमिटेड को एस.टी.पी. निर्माण हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाले भूमि के लिये एक रूपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर से लीज राशि प्रति वर्ग की दर से लीज राशि परिषद कोष में जमा करवानी होगी। जो कि प्रथम वर्ग के लिये लीज राशि रूपये 19924/- द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 016962 दिनांक 15.09.2011 नगर परिषद में जमा कर दिया गया है।
13. 19 वर्ष 11 माह 29 दिन बाद (अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर) एस.टी.पी. चालू हालत में निःशुल्क बिना किसी अदायगी के नगर परिषद को हस्तान्तरित किया जायेगा।
14. फर्म द्वारा प्लान्ट के बफर जोन में सघन वृक्षारोपण के अतिरिक्त शहर में 5 हजार वृक्ष लगाये जाकर उनका नियमित रूप से रख-रखाव किया जावेगा।
15. फर्म द्वारा पूरे शहर के पार्को का रख-रखाव किया जावेगा। पार्को की सूर्च साथ में संलग्न है।
16. फर्म द्वारा शहर में रामधाम के सामने रोड ओवरब्रिज (RoB) का निर्माण करवाया जावेगा। जिसका समस्त खर्चा (निर्माण एवं भूमि का मुआवजा) स्वयं जिन्दल शॉ लिमिटेड वहन करेगी।

आयुक्त

Bharat
Authorised Signatory

समापति

7. अनावृष्टि की स्थिति में उपनगर क्षेत्र पुर के 2 तालाबों में ट्रिटिंग किया हुआ साफ पानी छोड़ा जावेगा।

18. नगर परिषद क्षेत्र भीलवाड़ा शहर से गन्दे पानी के निकास के लिये सभी नाले/नालियों का निर्माण नियमित रूप से रख-रखाव एवं सफाई का कार्य जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा स्वयं के खर्च से कराया जावेगा और यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कोई नाला/नाली में पानी का बहाव अवरुद्ध न हो एवं नाले-नालियों की सफाई की भी पूर्ण व्यवस्था की जावेगी।
- A नाले नालियों की सफाई से निकला मलबा, कचरा, कचरा स्थल व (ट्रेचिंग ग्राउण्ड) तक डलवाने की पूर्ण व्यवस्था जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा की जावेगी।
- B नाले एवं नालियों की सफाई इत्यादि में असफल रहने पर परिषद जिन्दल शॉ लिमिटेड की रिस्क एवं कोस्ट पर करवाएगी तथा इस व्ययन राशि को जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा पृथक से परिषद को चुकाना होगा।
19. STP के निर्माण हेतु राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी अनुमति दिनांक 29.09.2010 में अंकित समस्त शर्तों की अनुपालना की जावेगी। 10 एम.एल.डी. में राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अभी मात्र 5.5 एम.एल.डी. की ही सहमति दी गई है, शेष 4.5 एम.एल.डी. की अनुमति तत्समय प्राप्त की जावेगी।
20. STP के निर्माण, संचालन एवं रख रखाव हेतु नगर परिषद द्वारा कोई राशि वहन नहीं की जावेगी एवं STP से प्राप्त हुए Sludge को कम्पोस्ट प्लान्ट तक परिवहन का कार्य जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।
21. नगर परिषद के प्रस्तावानुसार कार्य पूर्ण अवधि के अतिरिक्त प्लान्ट के संचालन व रख रखाव अवधि के लिए फर्म जिन्दल शॉ लि. द्वारा बतौर Performance Security राशि रूपये 50.00 लाख की बैंक गारण्टी संख्या 4074711BG0000265 नगर परिषद में जमा कराई गई है।
22. जिन्दल शॉ लि. द्वारा शर्तों का शत प्रतिशत पालन नहीं करने अथवा शिकायते प्राप्त होने पर नगर परिषद उनको दिये जाने वाले पानी को रोकने की कार्यवाही करेगी एवं किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
23. यह है कि उक्त अनुबन्ध के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी प्रकार के राजस्व, सिविल/अन्य न्यायालय में किसी भी प्रकार का सम्मन/नोटिस नहीं दिया हुआ है, न ही अन्य किसी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, यदि होगा तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी। यह है कि उक्त अनुबन्ध पाक व साफ होकर पूर्व का कोई विक्रय ईकारार नहीं लिखा हुआ है। इस दस्तावेज की छायाप्रति मांगने पर अस्पष्ट व धुधली आने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस दस्तावेज के पंजियन सम्बन्धत खर्चा द्वितीयपक्ष ने वहन किया है।
- अतः यह अनुबन्ध आज दिनांक5-10-11..... को द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष के पक्ष में राजी-खुशी, प्रसन्नता, बिना जोर दबाव के, उक्त दस्तावेज की ईबारत को अक्षरतः पढा, सुन, समझ, स्वस्थचित्त होकर दो मौतबीरान गवाहों की उपस्थिति में स्टाम्प कीमती 2000/-रूपये किता 3+1 पाई पेपर पर द्वितीयपक्ष के हक में प्रसन्नता से निष्पादित कर सौंप दिया है सो सही सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।


दिनांक :- 5-10-11

स्थान :-


गवाह-1



(Jitendra S. Panwar)

गवाह-2


(Deepak 9499)


JINDAL SAW LTD.
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
Authorized Signatory


JINDAL SAW LTD.
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
Authorized Signatory


हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

सभापति

नगर परिषद, भीलवाड़ा

आयुक्त
नगर परिषद, भीलवाड़ा

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

सभापति

नगर परिषद, भीलवाड़ा

Date: 03.03.2021

Name of Work	:	Sewerage work with 10 years O&M (RUSDP/BHL/01)
Contractor	:	M/s Rajkamal Builders Infrastructure Pvt. Ltd.
3.Salient Features of the contract package		
1	Stipulated date of start	23.08.2017
2	Stipulated date of completion	22.08.2020, Likely completion date 31.12.2021
3	Contract period	1095 Days
4	Period Elapsed	117.26%
5	Contract Amount (Rs. In Cr.)	369.3 Cr. (Design Build Cost-326.59 Cr. + O&M Cost-32.71 Cr. + Provisional Sum-10 Cr.)
6	Physical progress (%age)	65.50%
7	Financial Expenditure till date	155.95 Cr. (Design Build-144.46Cr.)(44.23%)
8	LD and Penalty detail	LD imposed-Rs 7.78 Cr. & recovered - Rs 7.78 Cr. Penalty imposed-0.825Cr & recovered-Rs0.825 Cr.
9	Population to be benefitted	2,62,070

Project Progress: -

Sector	Particulars	Unit	Scope	Cumulative Progress	% age Progress	Physical Progress
Sewerage	Lateral Open	Km	363.248	213.343	58.73%	42.61%
	Lateral Trenchless	km	26.596	13.556	50.97%	
	Outfall Open	km	19.308	16.494	85.42%	6.59%
	Outfall Trenchless	km	1.437	0.105	7.31%	
	Manholes	Nos.	18123	9782	53.97%	
	IC	Nos.	9988	4138	41.43%	
	STP(30 MLD)	Nos	1	87.47%	87.47%	13.53%
	SPS(48 MLD)	Nos	1	89.48%	89.48%	2.77%
	House sewer connection	Nos	40000	Bidding under progress (Will be done under separate package)		

STP & SPS is likely to be completed by June 2021.

Sewer Network is likely to be completed by December 2021.

3-7


AEn

RUIDP BHL

(Om Bealcoch Bairwa)
8441935547



Government Of Rajasthan
Office of The Superintending Engineer,
RUIDP, Phase-III,
6/1026, Shiv Nagar, Kuwada Road,
Bhilwara



Mob.9414071147

E-mail-BHL.RUIDP@RAJASTHAN.GOV.IN

No. RUIDP PH-III/BHL/2020-21/3/21

Date: 24.09.2020

Regional Officer,
Rajasthan Pollution Control Board, Bhilwara

Subject: Design and Construction of Work of Providing Sewer Network with house sewer connections, Design and construction of Sewage Treatment Plant, Sewage pumping station, Power Generation Unit at STP & allied works and Operation & maintenance services of the entire system for 10 years in Part of Zone A & B of Bhilwara. (Contract Package No : RUSDP/BHL/01).
Reg. Certified information related to Sewage generation and its treatment arrangements.

Reference: 1) Your letter No. RPCB/RO/BHL/(LSG)/GEN56/2086-88 dtd.16.01.2019.
2) This office letter no.692 dated 18.01.2019 & 2615 dated 15.07.2020.
3) Your letter No. RPCB/RO/BHL/(NGT-488/2019)/L-06/339-42 dtd.13.07.2020

Sir,

In reference to above cited subject, it is to inform that the Sewerage Project is under execution in Bhilwara city. The City Bhilwara is divided in Four Sewerage Zone i.e. Zone A, B, C and D and under this Project only partially covered Zone A and Zone B (Mostly main area of city). The area covered under this Project is 45% of Bhilwara city. The Sewerage Network proposed under RUIDP includes the surrounding area of lake namely Nehru Talab (Love Garden) and Gandhisagar Talab only.

The current status of Sewerage Project is given as below.

Sr.No.	Activity	Total Scope	Progress till date	Progress in %	Likely date of completion	Remark
1	Sewer Network	410.0 Km	175.54 Km	42.81%	31.12.2021	The Sewerage House Connection Re-tender is yet to be floated.
2	Sewerage Treatment Plant (STP) 30MLD Cap.	1No	69.13%	69.13%	30.06.2021	
3	Sewerage Pumping Station (SPS) 48MLD Cap.	1 No	70.91%	70.91%	30.06.2021	



(Devesh Kumar Sharma)
Superintending Engineer
RUIDP Phase III
Bhilwara

Date: 24.09.2020

Copy to the following for information & further necessary action please:

1. Commissioner, Nagar Parishad, Bhilwara line agency.

Superintending Engineer
RUIDP Phase III
Bhilwara

मौका निरीक्षण प्रतिवेदन

मौका निरीक्षण दिनांक :-03.03.2021

सन्दर्भ :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्याय पीठ, नई दिल्ली, द्वारा प्रकरण कार्यकारी आवेदन संख्या (EA-03/2020) अंतर्गत मूल आवेदन संख्या 149/2014, शीर्षक बाबु लाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार एवम अन्य अंतर्गत जारी आदेशिका दिनांक 12.10.2020 की अनुपालना में।

निरीक्षण के दौरान उपस्थितगण / सदस्य :-

1. श्री बाबूलाल जाजू, याचिका कर्ता, भीलवाडा।
2. श्री महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि.मं., भीलवाडा।
3. श्री अखेराम, अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, भीलवाडा।
4. श्री ओमप्रकाश बैरवा, सहायक अभियंता, RUIDP, भीलवाडा।

संदर्भित प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की निर्देशों की अनुपालना में उपरोक्त उपस्थित सदस्यों द्वारा गाँधी सागर, भीलवाडा में अनुपचारित शहरी मल जल की प्रवाहित होने एवम मौका स्थिति बाबत निरीक्षण के दौरान पाया गया कि:-

1. गाँधी सागर में बडला चौराहा स्थित मुख्य खुले नाले में अनुपचारित शहरी मल जल का प्रवाहित होना पाया गया। नाले में कचरे की निकासी हेतु स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं होना एवम नाले पर स्थित 03 स्लुइस गेट खुला होना पाया गया। इस दौरान नगर परिषद् प्रतिनिधि श्री अखेराम जी द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं होने से अनुपचारित शहरी मल जल इस नाले में प्रवाहित हो रहा है एवम इसको गाँधी सागर में जाने से रोकने के लिए (वर्षा जल को छोड़ कर) नाले से पूर्व ही (गाँधी सागर तालाब को बायपास करती हुई लम्बाई लगभग 02 KM एवम व्यास लगभग 450 मिलीमीटर) एक की पाइपलाइन बिछाई हुई है जो की अंततः मेसर्स जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा BOT आधार पर संचालित मल जल उपचार संयंत्र कुल क्षमता 10 MLD तक जाने वाले मुख्य नाले से जुड़ा होना बताया गया। मौके पर श्री बाबूलाल जाजू एवम अन्य सदस्यों द्वारा इस पाइपलाइन के कचरे से अटा होने एवम इस बायपास पाइपलाइन के होते हुए भी अनुपचारित शहरी मल जल गाँधी सागर में आने के कारण इसका अपर्याप्त होना पाया गया।
2. इसी क्रम में RUIDP के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की सीवर लाइन का कार्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर है एवम इसके दिसम्बर 2021 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

तथापि RUIDP के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की खुले नाले को सीवर लाइन में जोड़ना उनके scope ऑफ़ work में शामिल नहीं हैं। सीवर लाइन बिछने के बाद एवम घरेलु कनेक्शन जोड़ने के बाद घरेलु गतिविधियों से जनित मल जल बडला चौराहा खुले नाले में नहीं आएगा परन्तु सीवर लाइन से नहीं जुड़े आस पास अन्य दुकानों / गतिविधियों से जनित मल जल जोड़ने का प्रस्ताव नहीं होना बताया गया। मौके पर राज्य मंडल द्वारा बडला चौराहा मुख्य खुले नाले से जल नमूना एकत्रित किया गया।

3. दल सदस्यों द्वारा क्षेत्र में आस पास के रिहायशी बस्तियों यथा काशीपुरी, वकील कॉलोनी, शास्त्री नगर, रामधाम, ट्रांसपोर्ट नगर, हाउसिंग बोर्ड (नया एवम पुराना) से बडला चौराहा मुख्य खुले नाले में आने वाले मल जल के अतिरिक्त, आस पास की अन्य रिहायशी बस्तियों यथा सिन्धु नगर, हनुमान कॉलोनी, वैभव नगर, कांवा खेडा, लक्ष्मीनगर आदि से भी अनुपचारित मल जल छोटी छोटी नालियों / नालों से गाँधी सागर में प्रवाहित होना पाया गया। इसी क्रम में RUIDP के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने एवम घरेलु कनेक्शन जोड़ने के बाद इन कोलोनियों से घरेलु गतिविधियों से जनित मल जल गाँधी सागर में आना बंद हो जाना बताया गया।
4. इसके पश्चात दल सदस्यों द्वारा गाँधी सागर का निरीक्षण किया गया एवम पाया गया कि बडला चौराहा स्थित मुख्य खुले नाले से अनुपचारित शहरी मल जल गाँधी सागर में प्रवाहित होना पाया गया। गाँधी सागर के इनलेट/आवक बिंदु पर भी काफी मात्रा में कचरा भरा होना पाया गया। इनलेट/आवक बिंदु पर कचरे की निकासी हेतु स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं होना पाया गया। गाँधी सागर में 06 सरफेस फाउंटेन टाइप एरियेशन (फ्लोटिंग) चलते हुए पाए गए, परन्तु मौके पर दल सदस्यों द्वारा गाँधी सागर के क्षेत्रफल को देखते हुए इसके बहुत कम प्रभावी होना पाया गया। मौके पर राज्य मंडल द्वारा गाँधी सागर (रपट के बालाजी के पास से) से जल नमूना एकत्रित किया गया।
5. तदुपरांत दल सदस्यों द्वारा गाँधीसागर की ओवरफ्लो चैनल /चादर (बंधा) (पंचमुखी मोक्षधाम के पास) आगे खुले नाले का निरीक्षण किया गया एवम दल सदस्यों द्वारा नगर परिषद् प्रतिनिधि द्वारा बताई गयी बायपास पाइपलाइन (गाँधी सागर के में जाने से रोकने के लिए (वर्षा जल को छोड़ कर) नाले से पूर्व ही एक लगभग 450 मिलीमीटर व्यास की बायपास पाइपलाइन) को मौके पर वस्तु स्थिति देखने हेतु प्रयास किया गया परन्तु ऐसी बायपास पाइपलाइन कार्यरत होना देखा नहीं गया। इस दौरान श्री अखेराम जी द्वारा अवगत करवाया गया कि आस पास फैली झाड़ियों के नीचे दबे होने

से बायपास पाइपलाइन दृष्टिगत नहीं हो रही हैं परन्तु ऐसी बायपास पाइपलाइन कार्यरत हैं। मौके पर राज्य मंडल द्वारा गांधीसागर की ओवरफ्लो चैनल /चादर (बंधा) पंचमुखी मोक्षधाम के पास) के आगे खुले नाले से जल नमूना एकत्रित किया गया।


6. मौके पर लिए गए छायाचित्र मय मोबाइल जीपीएस निर्देशांक के सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न हैं।
7. मौके पर लिए गए उक्त 03 जल नमूना को विश्लेषण हेतु राज्य मंडल प्रयोगशाला भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया।
8. मौके पर निरीक्षण के दौरान श्री कुञ्ज बिहारी पालीवाल, वैज्ञानिक अधिकारी, श्री हितेश कुमार उपाध्याय, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवम श्री अनिकेत बागडा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि.मं., भीलवाडा भी उपस्थित थे।

टिपणी :-

- I. नगरपरिषद द्वारा गाँधी सागर के संरक्षण हेतु त्वरित रूप से RUIDP के scope ऑफ़ work में सीवर लाइन से नहीं जुड़ने वाले बडला चौराहा नाले को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु (वर्षा जल के गाँधी सागर में प्रवाहित हो सकने के व्यवस्था प्रावधान के साथ) आवश्यक प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर सम्बंधित विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
- II. नगरपरिषद द्वारा गाँधी सागर के बडला चौराहा नाले एवम गाँधी सागर इनलेट/आवक बिंदु पर नियमित सफाई एवम कचरा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए।
- III. RUIDP द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन के कार्य को देखते हुए शहर में स्थित गांधी सागर एवम अन्य शहरी जल निकायों में आस पास के क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने एवम घरेलु कनेक्शन जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।
- IV. नगरपरिषद द्वारा अस्थायी वैकल्पिक तौर पर वर्तमान में स्थित बायपास पाइपलाइन के restoration एवम नियमित सफाई एवम बडला चौराहा मुख्य खुले नाले से आगमित अनुपचारित मल जल को गाँधी सागर इनलेट कैचमेंट से पूर्णतया बाईपास हेतु पर्याप्त क्षमता अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था /अन्य पाइपलाइन बिछाने बाबत कार्यवाही भी अपेक्षित हैं।
- V. नगरपरिषद द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार जिंदल सॉ लिमिटेड को BOT आधार पर मल जल उपचार संयंत्र कुल क्षमता 10 MLD को पूर्णक्षमता पर

संचालित करने हेतु निर्देशित करना एवम नगरपरिषद स्तर से इसकी समय समय पर समीक्षा भी आवश्यक हैं।


उपरोक्त मौका रिपोर्ट पढ़ कर समस्त उपस्थित मोतबिरानो को पढ़ कर सुनाई गयी एवम हस्ताक्षर किये गए।



(श्री बाबूलाल जाजू)
याचिका कर्ता, भीलवाडा



(अखेराम)
अधिशायी अभियंता,
नगर परिषद, भीलवाडा



(महावीर मेहता)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा. प्र. नि.मं., भीलवाडा

(ओमप्रकाश शर्मा)
सहायक अभियंता,
RUIDP, भीलवाडा

नोट : प्राचीन व प्रख्यात गाँधी सागर तालाब में पिछले अनेक वर्षों से 7 मल मूत्र वाले गंदे नाले का पानी आ रहा हैं। लगभग तीन वर्ष पूर्व माननीय हरित अधिकरण द्वारा गठित दल ने भी मौका देखा था ,तब भीलवाडा नगर परिषद द्वारा 6 माह में सभी 7 गंदे नालो को झील में जाने से रोकने का शपथ पत्र मय आश्वासन के दिया था, किन्तु आज तक गंदे नालो को झील में जाने से नहीं रोक पाए हैं एवम गंदे नालो का दूषित पानी अनवरत गाँधी सागर तालाब झील में जा रहा हैं , तालाब में दूषित पानी से मछलियाँ सहित अन्य जलीय जीवों का अकाल मृत्यु का सिलसिला लगातार जारी हैं। तालाब के आस पास की कोलोनियों के निवासी प्रदूषित पानी की दुर्गन्ध से परेशान हैं व दुर्गन्ध से विमारी फैलने का अंदेशा हैं।

लगभग 20 वर्ष पूर्व नगर परिषद भीलवाडा ने गंदे पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला जाम हो गया हैं जिससे दूषित पानी गांधी सागर में जा रहा हैं।


लगभग 10 वर्ष पूर्व करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से गंदे नालो का पानी झील में न जाए, इस हेतु निर्मित किया गया था , जो कुछ समय बाद ही पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हैं एवम वर्तमान में अवशेष मात्र हैं। वर्तमान में झील का वास्तविक क्षेत्रफल भी अपने मूल स्वरूप से काफी कम रह गया हैं।

माननीय यहाँ यह भी उल्लेखित करना महत्वपूर्ण है कि विगत वर्षों में गाँधी सागर झील के विकास एवम गंदे पानी की निकासी हेतु चैनल बनाने के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपये राजकीय खर्च के बावजूद स्थिति विकास के बजाय बदतर होकर विनाश की ओर बढ़ी है।


अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय से विनम्र निवेदन है कि यह झील भीलवाडा की धरोहर है एवम आने वाले भविष्य को संजोये रखने के लिए भीलवाडा नगर परिषद व जिला प्रशासन को गाँधी सागर में दूषित पानी नहीं जाए व झील स्वच्छ वर्षा जल से लबालब हो कर शहर वासियों को एवम शहर के सौंदर्य ,स्वच्छ पर्यावरण तथा नौकायन पर्यटन आदि गतिविधियों का लाभ मिल सके इस बाबत सख्त निर्देश प्रदान किया जाए ताकि भीलवाडा शहर की इस प्राचीनतम झील का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।




(श्री बाबूलाल जाजू)
याचिका कर्ता , भीलवाडा




(मुख्य नाला बडला चौराहा भीलवाडा)




(स्लुइस गेट @ मुख्य नाला बडला चौराहा भीलवाडा एवम सैंपलिंग)




(मुख्य नाला बडला चौराहा से प्रवाहित होकर आ रहा अनुपचारित मल जल @ गाँधी सागर इन्टेक)




(गाँधी सागर में संचालित 06 सरफेस फाउंटेन टाइप एरियेशन (फ्लोटिंग))



(गाँधी सागर -रपट के बालाजी के पास से जल नमूना एकत्रीकरण)



(गांधीसागर की ओवरफ्लो चैनल /चादर (बंधा) पंचमुखी मोक्षधाम के पास)



(गांधीसागर की ओवरफ्लो चैनल /चादर (बंधा) पंचमुखी मोक्षधाम के पास के आगे खुले नाले से जल नमूना एकत्रीकरण)



CENTRAL LABORATORY
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, Paryavaran Marg, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur (Rajasthan)

Phone No. 0141 - 5159607, 5159648, 5159665

Fax No. 0141 - 5159665

F11 (267) RPCB/Lab-Water/2021-22/ 4

Date: 06/04/2021

The Regional Officer,
Regional Office,
RSPCB,
BHILWARA.

Sub.:- Analysis report of Water/Waste Water Sample No. 20472 to 20474.

Sir,

Kindly find enclosed herewith the analysis report of Sample No. 20472 to 20474 for necessary action.

Yours Sincerely,

Encl.:- As above (03 Analysis Reports)


Chief Scientific Officer

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **20472**
 Report On : **06/04/2021**

I hereby certify that I S. N. Tikkiwal, State Board Analyst duly appointed under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 received on the 05/03/2021 from Kunj Bihari Paliwal, SO, Bhilwara ,RSPCB Bhilwara a sample of Waste Water of Gandhi Sagar , Main Nallah near Badla Chouraha before Gandhi Sagar , Bhilwara Collected from Main Nallah near Badla Chouraha before Gandhi Sagar, Bhilwara Collected on 03/03/2021. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on 06/04/2021 and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	8.57
2	Total Suspended Solids mg/l	40
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	103
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	43
5	Oil & Grease mg/l	Not Traceable
6	Chloride as Cl mg/l	192
7	Sulphate as SO ₄ mg/l	66
8	Hardness (Total) as CaCO ₃ mg/l	200
9	Fluoride as F mg/l	0.686
10	Total Dissolved Solids mg/l	890
11	Conductivity at 25° C µmho/cm ₂	1299
12	Total Alkalinity as CaCO ₃ mg/l	488
13	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) as N mg/l	1.1

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **06/04/2021**


BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board
 Head Office (Central Laboratory)
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari,
 Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159648,5159607

Fax: 0141-5159665

[Back](#)
[Digital Sign](#)
[Download Signed Report](#)
[Print](#)

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **20473**
Report On : **06/04/2021**

I hereby certify that I S. N. Tikkiwal, State Board Analyst duly appointed under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 received on the 05/03/2021 from Shri Kunj Bihari Paliwal, SO, Bhilwara ,RSPCB Bhilwara a sample of Water of Gandhi Sagar , From Gandhi sagar at point near Rapat ke Balaji , Bhilwara Collected from From Gandhi sagar at point near Rapat ke Balaji Collected on 03/03/2021. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **06/04/2021** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	8.35
2	Total Suspended Solids mg/l	20
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	66
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	22
5	Oil & Grease mg/l	Not Traceable
6	Chloride as Cl mg/l	180
7	Sulphate as SO ₄ mg/l	76
8	Hardness (Total) as CaCO ₃ mg/l	180
9	Fluoride as F mg/l	0.616
10	Total Dissolved Solids mg/l	804
11	Conductivity at 25° C μmho/cm ₂	1220
12	Total Alkalinity as CaCO ₃ mg/l	412
13	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) as N mg/l	0.6

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **06/04/2021**


BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office Jaipur
Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road,
Jaipur
Phone: 0141-2332263

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **20474**

Report On : **06/04/2021**

I hereby certify that I S. N. Tikkiwal, State Board Analyst duly appointed under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 received on the 05/03/2021 from Shri Kunj Bihari Paliwal, SO, Bhilwara ,RSPCB Bhilwara a sample of Waste Water of Gandhi Sagar , From Nallah after Gandhi Sagar overflow point near Punchmukhi Mokshdham , Bhilwara Collected from From Nallah after Gandhi Sagar overflow point near Punchmukhi Mokshdham Collected on 03/03/2021. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on 06/04/2021 and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	8.36
2	Total Suspended Solids mg/l	20
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	58
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	20
5	Oil & Grease mg/l	Not Traceable
6	Chloride as Cl mg/l	184
7	Sulphate as SO ₄ mg/l	81
8	Hardness (Total) as CaCO ₃ mg/l	180
9	Fluoride as F mg/l	0.615
10	Total Dissolved Solids mg/l	802
11	Conductivity at 25° C μmho/cm ₂	1228
12	Total Alkalinity as CaCO ₃ mg/l	420
13	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) as N mg/l	0.6

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **06/04/2021**


BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office Jaipur
Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road,
Jaipur
Phone: 0141-2332263



REGIONAL OFFICE

Tele: 0744 -2490873

क्षेत्रीय कार्यालय

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

Plot No. 2A, Road No. 6, Indraprastha Industrial Area, Kota (Rajasthan)

RPCB/ROK/Lab/Gen.-45/13

Dated: 05/04/2021


The Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
18, Azad Nagar, Pannadhai Circle, Bhilwara.

Subject: - Analysis Reports of Water/ Waste Water sample.

Sir,

Please find herewith analysis report no 4186-4188 for water/waste water samples for kind perusal and further necessary action.

Yours Sincerely


5.4.2021

Lab Incharge

Enclosed: - As above.

qcr

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **4186**


Report On : **18/03/2021**

I hereby certify that I K K Jethalya, State Board Analyst duly appointed under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 received on the 05/03/2021 from Shri Kunj Bihari Paliwal, SO, Bhilwara ,RSPCB Bhilwara a sample of Water of Gandhi Sagar , From Gandhi sagar at point near Rapat ke Balaji , Bhilwara Collected from From Gandhi sagar at point near Rapat ke Balaji Collected on 03/03/2021. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on 18/03/2021 and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	Bio-Assay Test LC.....,.....gms,.....% by volume of the sample	100%survival of fish after 96 hrs in 100% effluent
2	Total Coliform (MPN Technique) /100 ml	150

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**
Signed This On **18/03/2021**


BOARD ANALYST


Rajasthan State Pollution Control Board
Regional Office Kota
SPL-2A, Road no. 6, Indrapasth Ind. Area,
Kota
Phone: 0744-2490873

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण मूल आवेदन क्रमांक 488/2019 बाबूलाल जाजू (पीपूल फॉर एनिमल्स) बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के संदर्भ में जारी आदेशिका दिनांक 05.08.2019 के निर्देशों की अनुपालना में श्री महावीर मेहता, (क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा) एवं श्री विकास सिंह (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा) द्वारा दिनांक 13.12.2019 को याचिकाकर्ता श्री बाबूलाल जाजू की उपस्थिति में तथा दिनांक 16.12.2019 को श्री विकास सिंह (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा) तथा श्री रोहिताश बलाई (कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म., भीलवाडा) द्वारा श्री अखेराम, सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, भीलवाडा; खुर्रम अनवर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाडा की उपस्थिति में गांधीसागर तालाब, नेहरू तलाई, मानसरोवर झील एवं आसपास की कॉलोनीयों से आकर इन तालाबों में मिल रहे नालों का तथा कोठारी नदी पर स्थित पालडी पुलिया एवं उसमें मिल रहे पाण्डु नाले का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाये गये दृष्टिगत तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सर्वप्रथम दल द्वारा गांधीसागर तालाब का मौका मुआयना दिनांक 13.12.2019 को किया गया तथा पाया कि गांधीसागर तालाब में आसपास की कॉलोनीयों से जनित घरेलू मल-जल/डोमेस्टिक सीवेज की काफी मात्रा एकत्रित थी। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाये रखने के लिए पांच एयररेटर मशीन लगाई गयी हैं, जिसमें से मात्र एक ही चलते हुए पाई गयी। श्री बाबूलाल जाजू द्वारा बताया गया कि गांधीसागर तालाब में मुख्यतः काशीपुरी, वकील कॉलोनी, शास्त्रीनगर, रामधाम, हनुमान कॉलोनी, ट्रांसपोर्टनगर, हाउसिंग बोर्ड (नया एवं पुराना), वैभव नगर, कांवाखेडा, लक्ष्मीनगर आदि से जनित घरेलू मल-जल की आवक प्रतिदिन बनी रहती है। मौके पर तालाब से जल नमूना भी एकत्रित किया गया। दिनांक 16.12.2019 को श्री अखेराम, सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, भीलवाडा द्वारा मौके पर गांधीसागर तालाब में जा रहे तीन नालों में से शास्त्रीनगर से आ रहे बड़े नाले पर लगे स्लूईस गेट दिखाये गये, जो कि खुले हुए पाये गये एवं घरेलू मल-जल गांधीसागर तालाब में बहकर जाया जाना पाया गया। बाकी दो नालों पर कोई गेट नहीं लगा था तथा एक नाला सूखा था एवं तीसरे नाले में हनुमान कॉलोनी एवं आंशिक रूप से शास्त्रीनगर क्षेत्र से घरेलू मल-जल बहकर आया जाना बताया गया। शास्त्रीनगर के मुख्य बड़े नाले में स्लूईस गेट के पहले 300 एम.एम. व्यास का एक डायवर्जन नाला भी डाला जाना बताया गया जो अन्ततः जिन्दल एस.टी.पी. तक जाने वाले मुख्य नाले से जुड़ा होना बताया गया।
2. तत्पश्चात दल द्वारा नेहरू तलाई का निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि गांधीसागर तालाब की तरह ही नेहरू तलाई में भी आसपास की कॉलोनीयों से जनित घरेलू मल-जल/डोमेस्टिक सीवेज की काफी मात्रा एकत्रित थी। श्री बाबूलाल जाजू द्वारा बताया गया कि नेहरू तलाई में मुख्यतः माणिक्यनगर, गुलमण्डी, बैरवा मोहल्ला, मालीखेडा, संजय कॉलोनी, धानमण्डी, पुराना भीलवाडा, अशोकनगर, भोपालगंज, आजाद मोहल्ला, इन्द्रा मार्केट, रामस्नेही चिकित्सालय के सामने वाली कॉलोनी, सांगानेर कॉलोनी, खटीक मोहल्ला, कोली मोहल्ला आदि से घरेलू मल-जल की आवक लगभग प्रतिदिन ही बनी रहती है। निरीक्षण के दौरान तलाई के दो भिन्न स्थानों से जल के नमूने भी एकत्रित किये गये।

दिनांक 16.12.2019 को श्री खुर्रम अनवर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा मौके पर नेहरू तलाई में जा रहे दो नालों को दिखाया गया जिन पर स्लूईस गेट लगे हुए पाये गये, जिनका उपयोग वर्षा के दौरान होना बताया गया। कृषि उपज मण्डी, धांधोलाई, आर.के.कॉलोनी की ओर से आ रहा नाला सूखा पाया गया एवं वर्धमान कॉलोनी, रोडवेज बस स्टेण्ड की ओर से आ रहे नाले में घरेलू मल-जल बहकर आना देखा गया। यद्यपि स्लूईस गेट के पास बनी ओपनिंग को पत्थर लगाकर आंशिक रूप से बन्द किया जाना पाया गया, परन्तु इस नाले से नेहरू तलाई की तरफ हल्का बहाव देखा गया।

3. इसी क्रम में दल द्वारा कुछ नियत स्थानों में बह रही कोठारी नदी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोठारी नदी में आसपास की कॉलोनियां मुख्यतः आर.सी.व्यास, आर.के. कॉलोनी, पुराना मलाण, सुभाषनगर, विजय सिंह पथिकनगर आदि से निकल रहा घरेलू मल-जल पाण्डु नाले से होता हुआ कोठारी नदी में गिरता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान कोठारी नदी पर बनी पालडी पुलिया से भी जल नमूना एकत्रित किया गया।
4. अन्त में दल द्वारा मानसरोवर झील का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मानसरोवर झील की वास्तविक तस्वीर गांधीसागर एवं नेहरू तलाई की तुलना में काफी भिन्न पाई गयी। झील की सतह पर किसी भी तरह का घरेलू मल-जल नहीं पाया गया तथापि झील में आसपास की कॉलोनियों से आ रहे नाले देखे गये जिनमें घरेलू मल-जल का बहाव नहीं पाया गया। इन कॉलोनियों में मुख्यतः -किशनावतों की खेडी, बापूनगर (नया व पुराना), आजादनगर, हाउसिंग बोर्ड, कर्मचारी कॉलोनी, पी.एण्ड.टी. कॉलोनी, बिलिया आदि हैं। तथापि पुष्टि हेतु झील से जल नमूना एकत्रित किया गया।
दिनांक 16.12.2019 को श्री खुर्रम अनवर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा मौके पर मानसरोवर झील में जा रहे तीन नालों को दिखाया गया, जिन पर स्लूईस गेट नहीं लगे हुए पाये गये। तीनों नालों में घरेलू मल-जल का बहाव नहीं पाया गया। श्री खुर्रम अनवर द्वारा बताया गया कि इन तीनों नालों को मानसरोवर झील के केचमेन्ट क्षेत्र यथा-पटेल नगर सेक्टर 1, 2, 8, 10, कमला विहार, बापूनगर आदि में होने वाली वर्षा के पानी को संग्रहित कर झील में पहुंचाने हेतु बनाया गया है।
5. सभी एकत्रित पांच जल नमूनों को विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर प्रेषित किया गया है।
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(रोहिताश बलाई)
कनि. पर्यावरण अभियन्ता
रा.प्र.नि.म., भीलवाडा


(विकास सिंह)
कनि. वैज्ञानिक अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भीलवाडा


(महावीर मेहता)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भीलवाडा

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST
(See Rule - 24)
Final Report

Report No. : **19096**

Report On : **15/01/2020**


I hereby certify that I **S. N. Tikkiwal**, State Board Analyst duly appointed **under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974** received on the **16/12/2019** from **Shri Vikas Singh, JSO, Bhilwara ,RSPCB Bhilwara** a sample of **Water of Gandhi Sagar Talab , Bhilwara ,** Collected from **Gandhi Sagar** Collected on **13/12/2019**. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on **15/01/2020** and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	7.60
2	Total Suspended Solids mg/l	45
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	186
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	53
5	Copper as Cu mg/l	Not Traceable
6	Zinc as Zn mg/l	0.416
7	Nickel as Ni mg/l	Not Traceable
8	Lead as Pb mg/l	Not Traceable
9	Total Chromium as Cr mg/l	Not Traceable
10	Iron as Fe mg/l	0.426
11	Cadmium as Cd mg/l	Not Traceable
12	Chloride as Cl mg/l	222
13	Sulphate as SO ₄ mg/l	117
14	Hardness (Total) as CaCO ₃ mg/l	312
15	Hardness (Calcium) as CaCO ₃ mg/l	180
16	Magnesium Hardness as CaCO ₃ mg/l	132
17	Calcium (Titrimetric) as Ca mg/l	72
18	Magnesium as Mg mg/l	32
19	Fluoride as F mg/l	0.345
20	Total Dissolved Solids mg/l	922
21	Conductivity at 25° C μmho/cm ₂	1312
22	Total Alkalinity as CaCO ₃ mg/l	372

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : **Intact**

Signed This On **15/01/2020**


BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board
 Head Office (Central Laboratory)
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari,
 Jaipur-302 004
 Phone: 0141-5159648,5159607
 Fax: 0141-5159665

मौका पत्र

NCT New Delhi में लंबित प्रकरण संख्या 488/2019 के संदर्भ में NCT के आदेशनुसार आज दिनांक 23.09.2020 को मनीष कुमार संगेत (A.E.N), Nayan Panshad, Bhaipanshad एवं श्री विक्रम सिंह (J.S.O, R.P.B, Bhaipanshad) की टीम ने गांधी सागर तथा उसके चिह्न रहे नालों का मौका मुआयना किया। पाये गये दृष्टिगत तथ्य निम्नानुसार हैं:

- शम्शीनगर की ओर से आ रहे बड़े नाले पर Sluice Gate लगे हुए पाये गये जो कि ~~बड़े~~ खुले हुए थे। उसके से घरेलू मल जल गांधी सागर में जाते हुए पाया गया।

T.K. Bag house के सामने से आ रहे नाले से भी जल मल गांधी सागर में जाते हुए देखा गया।

Akansha Tower की ओर से आ रहा नाला पूर्णतः खुला हुआ पाया गया।

दोनों ही नालों (T.K Bag house & Akansha Tower opposite side) पर किसी तरह का Sluice Gate या Bar Screen नहीं पाई गई।

गांधी सागर में लगे हुए पांच शरेटर मशीन बंद पाये गये।

एक जल नमूना गांधी सागर झील से लिया गया।

Keel
23/9/20

[Signature]
23.09.2020

FORM - X
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
REPORT OF THE STATE BOARD ANALYST

(See Rule - 24)
Final Report

Report No : 3726

Report On : 19/10/2020


I hereby certify that I L R Maurya, State Board Analyst duly appointed under sub Section(3) of Section 53 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 received on the 24/09/2020 from Shri Vikas Singh, JSO, Bhilwara, RSPCB Bhilwara a sample of Water of Gandhi Sagar Talab, Bhilwara, Collected from GANDHI SAGAR Collected on 23/09/2020. The Sample was in a condition fit for analysis as reported below :-

I further certify that I have analyzed the aforementioned sample on 19/10/2020 and declare the result of the analysis to be as below :-

S. No.	Parameters	Result
1	pH	7.81
2	Total Suspended Solids mg/l	41
3	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l	34.6
4	Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD) (3days at 27° C) mg/l	4.5
5	Copper as Cu mg/l	NT
6	Zinc as Zn mg/l	0.28
7	Nickel as Ni mg/l	NT
8	Lead as Pb mg/l	NT
9	Total Chromium as Cr mg/l	NT
10	Iron as Fe mg/l	0.418
11	Cadmium as Cd mg/l	NT
12	Chloride as Cl mg/l	71.97
13	Sulphate as SO ₄ mg/l	143
14	Hardness (Total) as CaCO ₃ mg/l	272
15	Hardness (Calcium) as CaCO ₃ mg/l	164
16	Magnesium Hardness as CaCO ₃ mg/l	108
17	Magnesium as Mg mg/l	26.35
18	Fluoride as F mg/l	0.284
19	Total Dissolved Solids mg/l	752
20	Conductivity at 25° C μmho/cm ₂	1036
21	Total Alkalinity as CaCO ₃ mg/l	184

The condition of the seals, fastening and container on receipt was as follows : Intact

Signed This On 19/10/2020


BOARD ANALYST

Rajasthan State Pollution Control Board

Regional Office Udaipur

F / 470, Madri Ind. Area, Udaipur

Phone: 0294-2491269

Comparative Statement of analysis results of Water Sample collected from Gandhi Sagar between 13.12.2019 to 03.03.2021, analysed by Central Laboratory

S.NO.	Parameters			pH	BOD	COD	Hardness (Total) as CaCO ₃	Hardness (Calcium) as CaCO ₃	Magnesium Hardness as CaCO ₃	Ca	Mg	TSS	CL	Total Alkalinity as CaCO ₃	SO ₄	F	Zn	Fe	Pb	Cu	Ni	Cd	T.Cr	TDS	EC
	Measuring Unit																								
	Point of Collection	Report No	Date of collection																						
1	Gandhi Sagar	19096	13.09.2019	7.6	53	186	312	180	132	72	32	45	222	372	117	0.345	0.416	0.426	NT	NT	NT	NT	NT	922	1312
2	Gandhi Sagar	3726	23.09.2020	7.81	4.5	34.6	272	ND	ND	ND	ND	ND	71.97	ND	143	0.284	0.28	0.418	NT	NT	NT	NT	NT	752	1036
3	Gandhi Sagar	20473	03.03.2021	8.35	22	66	180	ND	ND	ND	ND	20	180	412	76	0.616	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	804	1220

कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अनुप्रयोग आधारित निर्धारित प्रवर्ग हेतु मानक

प्रवर्ग अनुप्रयोग Parameter	प्रवर्ग A Drinking Water Source	प्रवर्ग B Outdoor bathing	प्रवर्ग C Drinking water	प्रवर्ग D Propagation of Wild life	प्रवर्ग E Irrigation, Industrial	प्रवर्ग A,B,C,D एवं E हेतु निर्धारण से
B.O.D.(mg/l) 5 days 20°C	2mg/l or less	3mg/l or less	3mg/l or less	Not mentioned	Not mentioned	प्रवर्ग A,B,C,D एवं E हेतु निर्धारण से असंगत
Dissolved Oxygen(mg/l)	6mg/l or more	5mg/l or more	4mg/l or more	4mg/l or more	Not mentioned	
pH	between 6.5 and 8.5	between 6.5 and 8.5	between 6 to 9	between 6.5 and 8.5	pH between 6.0 to 8.5	
Total Coliform (MPN/100ml)	shall be 50 or less	shall be 500 or less	shall be 5000 or less	Not mentioned	Not mentioned	
Free Ammonia (as N)	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	1.2 mg/l or less	Not mentioned	
Electrical Conductivity at 25°C micromhos/cm	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Max.2250	
Sodium absorption Ratio	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Max.226	
Boron	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned	Max.2mg/l	



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141-5159699,5159604 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

TollFreeHelpLineNo. : 18001806127 Ext. 7

Registered A/D

Date: 04/09/2019

F.16 (11)RPCB/BMW/ 361 to 365

Commissioner,
Municipal Council, Bhilwara

Sub: Directions under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for seeking action taken report in the matter of Hon'ble National Green Tribunal (NGT) order dated 03.05.2019 passed under O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others.

Sir,

1. Whereas the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the country, with effect from 23.03.1974.
2. And whereas the Water Act has been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
3. And whereas under the provisions of section 24 of the Water Act, no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
4. And whereas under the provisions of section 25 and 26 of the Water Act, no person shall without the previous consent of the State Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.
5. And whereas, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others has inter-alia directed vide order dated 03.05.2019 that

"The issue for consideration is encroachment on Kothari River near Bhilwara, Rajasthan and dumping of domestic, industrial and other waste, including bio-medical waste, Keshav Hospital, Bhilwara is also said to be involved"


"Steps taken are still not complete. Let the RSPCB take further steps for enforcement of law and furnish an updated report in the matter after three months."

"Learned counsel for the applicant states that steps have not been taken against illegal constructions. Let this aspect be also looked into by the RSPCB and if it is so, appropriate action be taken including taking up with the concerned authorities."

6. And whereas the site of Kothari River was inspected by a team of the officials of RSPCB, Jaipur on 03.09.2019 and during inspection following shortcomings have been observed :-
 - 1) A high level bridge was found under erection stage in the bed of Kothari River. As informed by Sh. Ravindra Singh Khushwaha, JEE, UIT, they have sought permission from RSPCB regarding non-applicability of E.C. in the matter.


- 2) Five pillars of the high level bridge observed under erection stage and adjacent to the pillars, piles of debris of grit and cement bags were observed which were obstructing the natural flow of River Kothari.
 - 3) Team along with representatives from UIT and Municipal Council Bhilwara identified following five drains ultimately culminating into River Kothari :-
 - a) Pandu ka Nallah
 - b) Drain near beti bachao Udyan
 - c) Drain flowing from R.C. Vyas Colony
 - d) Drain flowing from Patri Nagar.
 - e) Drain flowing from Chitrakoot Nagar
 - 4) As informed by EE, Municipal Council, Bhilwara, directions have been issued by them to UIT for diverting above municipal drains/nallah culminating to Kothari river to the main city sewage drain where STP of 10 MLD is being operated by M/s JSW Ltd., Bhilwara.
 - 5) Three number of cremation grounds were observed in the bed of Kohtari River.
 - 6) EE, Municipal Council, Bhilwara informed that door to door waste collection is being practiced in the nearby colonies of River Kothari. However, heaps of Municipal Solid Waste were found lying on the bank of river.
7. And whereas the State Board, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of section 33A of the Water Act 1974 and in performance of its functions under the Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct:-
- (a) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or
 - (b) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.

Therefore, the State Board in exercise of the powers conferred upon it under section 33A of the Water Act, 1974 and in performance of functions under the Act, hereby directs you to take necessary action for rectification of above mentioned shortcomings and ensure compliance of directions issued by the Hon'ble NGT, New Delhi in the O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others time to time i.e. on 12.10.2018, 16.01.2019, 21.02.2019 & 03.05.2019. You are further directed to forward action taken report in the matter to this office immediately so that compliance can be submitted before Hon'ble NGT before next date i. e. 11.09.2019.


(Shailaja Deval)
Member Secretary

Copy to following:-

1. PS to Chairperson, RSPCB, Jaipur.
2. PS to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
3. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bhilwara.
4. Master file.



Member Secretary



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141-5159699,5159604 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

TollFreeHelpLineNo. : 18001806127 Ext. 7

Registered A/D

F.16(11)RPCB/BMW/ 371 to 375

Date: 04/09/2019

Secretary,
UIT, Bhilwara


Sub: Directions under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for seeking action taken report in the matter of Hon'ble National Green Tribunal (NGT) order dated 03.05.2019 passed under O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others.

Sir,

1. Whereas the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the country, with effect from 23.03.1974.
2. And whereas the Water Act has been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
3. And whereas under the provisions of section 24 of the Water Act, no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
4. And whereas under the provisions of section 25 and 26 of the Water Act, no person shall without the previous consent of the State Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.
5. And whereas, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others has inter-alia directed vide order dated 03.05.2019 that
"The issue for consideration is encroachment on Kothari River near Bhilwara, Rajasthan and dumping of domestic, industrial and other waste, including bio-medical waste, Keshav Hospital, Bhilwara is also said to be involved"
"Steps taken are still not complete. Let the RSPCB take further steps for enforcement of law and furnish an updated report in the matter after three months."
"Learned counsel for the applicant states that steps have not been taken against illegal constructions. Let this aspect be also looked into by the RSPCB and if it is so, appropriate action be taken including taking up with the concerned authorities."
6. And whereas the site of Kothari River was inspected by a team of the officials of RSPCB, Jaipur on 03.09.2019 and during inspection following shortcomings have been observed :-
 - 1) A high level bridge was found under erection stage in the bed of Kothari River. As informed by Sh. Ravindra Singh Khushwaha, JEE, UIT, they have sought permission from RSPCB regarding non-applicability of E.C. in the matter.


- 2) Five pillars of the high level bridge observed under erection stage and adjacent to the pillars, piles of debris of grit and cement bags were observed which were obstructing the natural flow of River Kothari.
 - 3) Team along with representatives from UIT and Municipal Council Bhilwara identified following five drains ultimately culminating into River Kothari :-
 - a) Pandu ka Nallah
 - b) Drain near beti bachao Udyan
 - c) Drain flowing from R.C. Vyas Colony
 - d) Drain flowing from Patri Nagar.
 - e) Drain flowing from Chitrakoot Nagar
 - 4) As informed by EE, Municipal Council, Bhilwara, directions have been issued by them to UIT for diverting above municipal drains/nallah culminating to Kothari river to the main city sewage drain where STP of 10 MLD is being operated by M/s JSW Ltd., Bhilwara.
 - 5) Three number of cremation grounds were observed in the bed of Kohtari River.
 - 6) EE, Municipal Council, Bhilwara informed that door to door waste collection is being practiced in the nearby colonies of River Kothari. However, heaps of Municipal Solid Waste were found lying on the bank of river.
7. And whereas the State Board, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of section 33A of the Water Act 1974 and in performance of its functions under the Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct:-
- (a) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or
 - (b) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.

Therefore, the State Board in exercise of the powers conferred upon it under section 33A of the Water Act, 1974 and in performance of functions under the Act, hereby directs you to take necessary action for rectification of above mentioned shortcomings and ensure compliance of directions issued by the Hon'ble NGT, New Delhi in the O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others time to time i.e. on 12.10.2018, 16.01.2019, 21.02.2019 & 03.05.2019. You are further directed to forward action taken report in the matter to this office immediately so that compliance can be submitted before Hon'ble NGT before next date i. e. 11.09.2019.


(Shailaja Deval)
Member Secretary

Copy to following:-

1. PS to Chairperson, RSPCB, Jaipur.
2. PS to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
3. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bhilwara.
4. Master file.


Member Secretary



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, JhalanaDoongri, Jaipur-302004

Phone :0141-5159699,5159604 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

TollFreeHelpLineNo. : 18001806127 Ext. 7

Registered A/D

F.16(11)RPCB/BMW/ 366 to 370

Date: 04/09/2019

District Collector,
Bhilwara

Sub: Directions under section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 for seeking action taken report in the matter of Hon'ble National Green Tribunal (NGT) order dated 03.05.2019 passed under O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others.

Sir,

1. Whereas the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the country, with effect from 23.03.1974.
2. And whereas the Water Act has been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of water.
3. And whereas under the provisions of section 24 of the Water Act, no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter, determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board, to enter into any stream or well or sewer or on land.
4. And whereas under the provisions of section 25 and 26 of the Water Act, no person shall without the previous consent of the State Board establish or take any steps to establish, any industry, operation or process of any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or bring into use any new or altered outlet for the discharge or sewage or trade effluent or begin to make any new discharge of sewage or trade effluent.
5. And whereas, the Hon'ble NGT in the matter of O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others has inter-alia directed vide order dated 03.05.2019 that

"The issue for consideration is encroachment on Kothari River near Bhilwara, Rajasthan and dumping of domestic, industrial and other waste, including bio-medical waste, Keshav Hospital, Bhilwara is also said to be involved"

"Steps taken are still not complete. Let the RSPCB take further steps for enforcement of law and furnish an updated report in the matter after three months."

"Learned counsel for the applicant states that steps have not been taken against illegal constructions. Let this aspect be also looked into by the RSPCB and if it is so, appropriate action be taken including taking up with the concerned authorities."

6. And whereas the site of Kothari River was inspected by a team of the officials of RSPCB, Jaipur on 03.09.2019 and during inspection following shortcomings have been observed :-
 - 1) A high level bridge was found under erection stage in the bed of Kothari River. As informed by Sh. Ravindra Singh Khushwaha, JEE, UIT, they have sought permission from RSPCB regarding non-applicability of E.C. in the matter.


- 2) Five pillars of the high level bridge observed under erection stage and adjacent to the pillars, piles of debris of grit and cement bags were observed which were obstructing the natural flow of River Kothari.
 - 3) Team along with representatives from UIT and Municipal Council Bhilwara identified following five drains ultimately culminating into River Kothari :-
 - a) Pandu ka Nallah
 - b) Drain near beti bachao Udyan
 - c) Drain flowing from R.C. Vyas Colony
 - d) Drain flowing from Patri Nagar.
 - e) Drain flowing from Chitrakoot Nagar
 - 4) As informed by EE, Municipal Council, Bhilwara, directions have been issued by them to UIT for diverting above municipal drains/nallah culminating to Kothari river to the main city sewage drain where STP of 10 MLD is being operated by M/s JSW Ltd., Bhilwara.
 - 5) Three number of cremation grounds were observed in the bed of Kohtari River.
 - 6) EE, Municipal Council, Bhilwara informed that door to door waste collection is being practiced in the nearby colonies of River Kothari. However, heaps of Municipal Solid Waste were found lying on the bank of river.
7. And whereas the State Board, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of section 33A of the Water Act 1974 and in performance of its functions under the Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct:-
- (a) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or
 - (b) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.

Therefore, the State Board in exercise of the powers conferred upon it under section 33A of the Water Act, 1974 and in performance of functions under the Act, hereby directs you to take necessary action for rectification of above mentioned shortcomings and ensure compliance of directions issued by the Hon'ble NGT, New Delhi in the O.A. no. 725/2018 Shri Sajjan Sodani v/s State of Rajasthan & others time to time i.e. on 12.10.2018, 16.01.2019, 21.02.2019 & 03.05.2019. You are further directed to forward action taken report in the matter to this office immediately so that compliance can be submitted before Hon'ble NGT before next date i. e. 11.09.2019.


(Shailaja Deval)
Member Secretary

Copy to following:-

1. PS to Chairperson, RSPCB, Jaipur.
2. PS to Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
3. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bhilwara.
4. Master file.



Member Secretary

Date: 03.03.2021

Name of Work	:	Sewerage work with 10 years O&M (RUSDP/BHL/01)
Contractor	:	M/s Rajkamal Builders Infrastructure Pvt. Ltd.
3.Salient Features of the contract package		
1	Stipulated date of start	23.08.2017
2	Stipulated date of completion	22.08.2020, Likely completion date 31.12.2021
3	Contract period	1095 Days
4	Period Elapsed	117.26%
5	Contract Amount (Rs. In Cr.)	369.3 Cr. (Design Build Cost-326.59 Cr. + O&M Cost-32.71 Cr. + Provisional Sum-10 Cr.)
6	Physical progress (%age)	65.50%
7	Financial Expenditure till date	155.95 Cr. (Design Build-144.46Cr.)(44.23%)
8	LD and Penalty detail	LD imposed-Rs 7.78 Cr. & recovered - Rs 7.78 Cr. Penalty imposed-0.825Cr & recovered-Rs0.825 Cr.
9	Population to be benefitted	2,62,070

Project Progress: -

Sector	Particulars	Unit	Scope	Cumulative Progress	% age Progress	Physical Progress
Sewerage	Lateral Open	Km	363.248	213.343	58.73%	42.61%
	Lateral Trenchless	km	26.596	13.556	50.97%	
	Outfall Open	km	19.308	16.494	85.42%	6.59%
	Outfall Trenchless	km	1.437	0.105	7.31%	
	Manholes	Nos.	18123	9782	53.97%	
	IC	Nos.	9988	4138	41.43%	
	STP(30 MLD)	Nos	1	87.47%	87.47%	13.53%
	SPS(48 MLD)	Nos	1	89.48%	89.48%	2.77%
	House sewer connection	Nos	40000	Bidding under progress (Will be done under separate package)		

STP & SPS is likely to be completed by June 2021.

Sewer Network is likely to be completed by December 2021.

3-7

AEn

RUSDP BHL

(Om Bealcoch Bairwa
8441935547)

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक: नपभी/निर्माण/2020-21/ 14265

दिनांक: 04/11/2020

Regional Officer

Rajasthan State Pollution Control Board

18, Near Pannadhay Circle, Azad Nagar, Bhilwara



विषय :- NGT- Notice Aafter Admmission के क्रम में।

प्रसंग :- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा के पत्रांक
Most Urgent (N.G.T Matter) 339-42 दिनांक 13.07.2020
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाड़ा के पत्रांक Most Urgent (N.G.T Matter) 339-42 दिनांक 13.07.2020 के क्रम में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

01. नगर परिषद क्षेत्र में स्थित गांधी सागर तालाब परिषद स्वामित्व में है। नेहरू तलाई एवं मानसरोवर झील नगर विकास न्यास के अधीनस्थ है।
02. गांधी सागर तालाब में पानी के शुद्धीकरण हेतु 06 पम्प इरिगेटर लगा रखे हैं जो प्रातः काल 10.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक 06 फव्वारे चलाये जाते हैं।
03. गांधी सागर तालाब की सफाई, कचरे एवं आस-पास की गॉरबेज, वनस्पति को हटाने हेतु वार्षिक अनुबंध कर प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई की जाती है।
04. गांधी सागर तालाब में सीवरेज के पानी की निकासी बाबत 450 mm dia की पाईप लाईन डाली हुई है। चम्बल परियोजना के तहत पाईप लाईन विस्तार के समय क्षतिग्रस्त कर दी गई थी जिसको दुरुस्त किया जा रहा है।
05. शहर के सीवरेज ट्रीटमेन्ट हेतु पूर्व में जिन्दल शॉ लि0 द्वारा 10 MLD का STP निर्मित है जिससे Treatment जारी है। शहर के सीवरेज योजना में 30 MLD का STP Ruidp द्वारा निर्माणाधीन एवं सीवरेज नेटवर्क का कार्य RUIDP द्वारा 31.12.2021 तक पूर्ण लिया जावेगा।
06. सीवरेज का नेटवर्क चालू होने के पश्चात् गंदा पानी तालाब में जाना बंद हो जायेगा।
अतः पालना रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

28/11
SO(M)

आयुक्त
नगर परिषद भीलवाड़ा

by A.D

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : तकनीकी / 2019-20 / 4394 -95

दिनांक : 17/12/2019

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
18, पन्नाधाय सर्किल के पास आजाद नगर
भीलवाड़ा।



by
Secy

78/06/01

विषय :- Information/Action required in reference to Hon'ble National Green Tribunal, Principle Bench New Delhi's order Dt. 05-08-19 in the matter of Babulal Jaju V.S. State of Rajasthan O.A. No. 488/2019.

संदर्भ :- पत्र क्रमांक RPCB/RO/BHL/NGT (2019) (L-6)/ 3350-52 Dt. 12.12.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में Factual Report निम्न प्रकार है।

- नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के क्षेत्राधिकार में उक्त में से केवल नेहरू तलाई एवं मानसरोवर झील है।
- वर्तमान में नेहरू तलाई में आर.के.कॉलोनी., वर्धमान कॉलोनी एवं श्रीगेस्ट हाउस के आसपास की कॉलोनियों का पानी आता है। नेहरू तलाई में आने वाले गन्दे पानी को रोकने के लिये 03 स्थानों पर स्लूस गेट बनाये गये हैं जिनके द्वारा पानी को तलाई में आने से रोका जाता है।
- नेहरू तलाई में से पॉलिथीन आदि गन्दगी की सफाई हेतु न्यास द्वारा निविदा जारी कर रखी है एवं उक्त का परिवहन सांगानेर ट्रेचिंग यार्ड में किया जाता है।
- मानसरोवर झील में पटेल नगर के सेक्टर 01, 08 एवं 10 तथा बापूनगर का पानी आता है। जिसको रोकने हेतु वर्तमान में तीन स्थानों पर नालो को अस्थाई रूप से बन्द कर डाईवर्जन कर रखा है।

भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही -

- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा न्यास की दोनों झीलों की सफाई हेतु फ्लोटर डिविडींग मशीन क्रय करने के निर्देश दिये हैं। जिसकी पालना में उक्त मशीन की कोटेशन आदि लेकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- मानसरोवर झील में आने वाले गन्दे पानी को रोकने हेतु स्लूस गेट बनवाये जाने हैं एवं नेहरू तलाई हेतु भी स्लूस गेट एवं नालो की मरम्मत तथा अतिरिक्त स्लूस गेट बनाये

by A.D

जाने प्रस्तावित है। दोनों कार्यो हेतु क्रमशः 19-19 लाख रुपये के विस्तृत तकमीने तैयार कर दिये गये है। जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निविदा जारी कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।


अधिशाम्पी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि —

1. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष महोदय न्यास भीलवाड़ा को सूचनार्थ।

अधिशाम्पी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara
Phone : 01482-241159; Email ID: rjpcb.bhilwara@gmail.com

No. RPCB/RO/BHL/NGT(2019)(L-1)/179-84 Dated: 5/4/19

Urgent/NGT Matter

(Through Registered Post/Email)

To,

The Commissioner,
Municipal Council,
Bhilwara,
District Bhilwara.

Subject: Regarding Compliance of directions passed by Hon'ble N.G.T.,
Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 1490/2018 & M.A. No.
1491/2018 under O.A. No.725/2018 and O.A. No.725/2018, titled
as Shri Sajjan Sodani V/s State of Raj & Others.

Reference: Hon'ble N.G.T., Principal Bench, New Delhi's order sheet dated
21.02.19.

Sir,

Apropos Above, it is submitted that Hon'ble N.G.T., Principal Bench,
New Delhi has passed directions in M.A. No. 1490/2018 & M.A. No. 1491/2018 under O.A.
No.725/2018 and O.A. No.725/2018, titled as Shri Sajjan Sodani V/s State of Raj &
Others Vide order sheet dated 21.02.19, inter-alia reproduced herein under:-

*"We also find that notice has been issued to the Municipal Council, Bhilwara
alleging that untreated domestic sewage was being discharged in the municipal
drain which was meeting the river and Construction and Demolition (C&D) waste
was also being dumped in the river. On this aspect also, the SPCB must give final
report of the action taken, including taking of Performance Guarantee from the
concerned local body for complying with the defects within specified time and
recovery of compensation for damage to the environment."*

To ensure the compliance of above stated directions, RSPCB Head Office, Jaipur has
directed this office to intimate your good self-related to submission of Performance
Guarantee as well as recovery of compensation for damage to the environment on the basis
of prevailing Hon'ble N.G.T.'s order for calculation of compensation.

Therefore, as being RSPCB appointed OIC of the case and in compliance of RSPCB Head
Office, Jaipur order dt. 13.03.19, you are hereby directed to submit the following to ensure
the compliance of Hon'ble NGT's order dated 21.02.19:-

- a. Deposition of Performance Guarantee bearing an amount of Rs. 25.00 Lac to CPCB,
New Delhi for setting up adequate capacity based Sewage Treatment Plant in time
bound manner.



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara
Phone : 01482-241159; Email ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com

b. Deposition of Environmental Compensation amount of Rs. 63.80 Lac for the damage to the environment to CPCB, New Delhi.

Further, decision related to adequacy of amount to be deposited as Performance Guarantee / or to be deposited on account of recovery as Environmental Compensation, as conveyed through this letter shall be subject to the final confirmation / approval of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi if any given during subsequent hearings and in such case, Municipal council shall be responsible for deposition of difference amount if any.

It is also pertinent to mention here that after deposition of aforesaid Performance Guarantee / Environmental Compensation, receipt of same shall be produced to this office as well as to RSPCB Head office, Jaipur to enable this office for timely submission of final report cum compliance report in time and before the next date of hearing as scheduled on 03.05.2019. Besides, it is also to be noted that responsibility regarding any non-compliance in this regard / failure to make compliance of aforesaid direction (s) solely lies with concerned local body.

(Rajeev Pareek)

Regional Officer

Copy to followings:

1. Deputy Registrar (Legal), Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi.
2. P.A. to District Collector, Bhilwara with request to direct the concern to ensure compliance.
3. Sr. P.A. to MS, RSPCB, Jaipur for information.
4. Chief Environmental Engineer, RSPCB, Jaipur w.r.t. to directions received in this regard and for guidance.
5. Legal Advisor, RSPCB, Jaipur

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara.
Phone/Fax no. 01482-241159, E-Mail ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com

Annexure - 9



रा.प्र.नि.मं./क्षे.का. भीलवाड़ा /विधिक -48/ 1786-1791

दिनांक - 25/02/2021

(अति महत्वपूर्ण/ मा.एन.जी .टी. प्रकरण संख्या EA-03/2020)

आगामी तिथि -08.03.2021

आयुक्त, नगर परिषद,
कार्यालय नगर परिषद,
राजेंद्र मार्ग, भीलवाड़ा (राज.)
पिन कोड -311001
ईमेल -npbphilwara@gmail.com

विषय :- मा.एन.जी .टी. में दर्ज प्रकरण एक्सिकुयशन आवेदन संख्या EA-03/2020 शीर्षक बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 12.10.2020 की अनुपालना बाबत ।

सन्दर्भ :- 1. मा.एन.जी .टी. में दर्ज प्रकरण एक्सिकुयशन आवेदन संख्या EA-03/2020 में पारित आदेशिका दिनांक 12.10.2020.

2. मा.एन.जी .टी. , केंद्रीय आंचलिक न्यायपीठ ,भोपाल द्वारा प्रकरण मूल आवेदन संख्या OA-149/2014 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 787/2015 में पारित आदेशिका दिनांक 02.05.2016.

3. कार्यालय जिला कलेक्टर ,भीलवाड़ा पत्रांक क्रमशः 46102 एवम 46197 ,दिनांक 05.11.2020 एवम 24.11.2020

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत बिन्दुवार लेख हैं कि :-

1. मा.एन.जी .टी. , केंद्रीय आंचलिक न्यायपीठ ,भोपाल द्वारा प्रकरण मूल आवेदन संख्या OA-149/2014 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 787/2015 शीर्षक बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.05.2016, जैसा की निर्दिष्ट था :-

The need therefore, for the local authority that is Municipal Corporation of Bhilwara, the Government as well as the PCB and the State Environment Impact Assessment Authority is to ensure that there is no untreated sewage or effluents in Bhilwara which is drought prone area with scarce water resources and at the same time, needs substantially large quantities of fresh water not only for domestic use but for industrial use as well and some of the units are drawing water from far of distances as well.

The need therefore, is to ensure that re-use of treated water wherever possible by industrial units should be made to be optimum so that fresh water can be made available for domestic use and industries can be provided with the treated water as far as possible so as to save precious fresh water and ground water.

We would therefore, emphasise upon the State Government to initially provide the necessary assistance to the local body for establishment of the STPs / ETPs with modifications wherever necessary for treatment of industrial effluents as well to the extent they may be found to be mixing with the domestic sewage. At the same time, all measures for reducing the dependence on fresh water by industrial units must be taken and such industrial units may be provided initially for the supply of treated water from such STPs either by transportation



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara.

Phone/Fax no. 01482-241159, E-Mail ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com



through tankers till such time as necessary arrangements by way of laying down pipelines for gray water use are made.

उक्तानुसार पालना आपके विभाग से की जानी थी। (संलग्नक -I)

1. तदुपरांत, नदी एवम जल निकायों के बहाव / किनारों / आस पास के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट / नगरिय अपशिष्ट एवम अनुपचारित मल जल (SEWAGE) आदि के कारण जल प्रदूषण की समस्या के नियंत्रण एवम रोकथाम हेतु समकक्ष प्रकरणों यथा :- मा.एन.जी.टी., प्रधान न्याय न्यायपीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या OA-725/2018 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 1490/2018 एवम 1491/2018 शीर्षक श्री सज्जन सोडानी बनाम राजस्थान सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 21.02.2019 की अनुपालना में पर्याप्त क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र की समयबद्ध स्थापना हेतु 25 लाख रुपये की परफॉर्मेंस गारंटी एवम राशी 63.80 लाख अंतरिम पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित करते हुए CPCB, नई दिल्ली को जमा करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.04.19 द्वारा निर्देशित किया गया था। (संलग्नक II)
2. उत्तरोत्तर, राज्य मंडल, जयपुर के निर्देशानुसार, नदी एवम जल निकायों के बहाव / किनारों / आस पास के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट / नगरिय अपशिष्ट एवम अनुपचारित मल जल (SEWAGE) आदि के कारण जल प्रदूषण की समस्या के नियंत्रण एवम रोकथाम हेतु समान प्रकरणों / परिस्थितियों में जल अधिनियम, 1974 की धारा 24, 25 एवम 26 के प्रावधानों अवहेलना करने के कारण धारा 43 एवम 44 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में दांडिक परिवाद भी दर्ज किया गया है। (संलग्नक III)
3. इसी क्रम में, राज्य मंडल मुख्यालय के पत्र दिनांक 04.09.19 द्वारा नदी एवम जल निकायों के बहाव / किनारों / आस पास के क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट / नगरिय अपशिष्ट एवम अनुपचारित मल जल (SEWAGE) आदि के कारण जल प्रदूषण की समस्या के नियंत्रण एवम रोकथाम हेतु समकक्ष प्रकरणों यथा :- मा.एन.जी.टी., प्रधान न्याय न्यायपीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या OA-725/2018 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 787/2015 में पारित आदेशिका आदेशों द्वारा प्रकरण मूल आवेदन संख्या OA-149/2014 शीर्षक श्री सज्जन सोडानी बनाम राजस्थान सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 03.05.2019 की अनुपालना में जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 अ के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक निर्देश जारी किये गए थे। (संलग्नक IV)
4. तत्पश्चात, इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.12.19 द्वारा भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब, नेहरु तलाई, मानसरोवर झील इत्यादि में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) को प्रवाहित होने से रोकने एवम जल प्रदूषण की समस्या के नियंत्रण एवम रोकथाम हेतु समकक्ष प्रकरण यथा :- मा.एन.जी.टी., प्रधान न्याय न्यायपीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या OA-488/2019 में पारित आदेशिका दिनांक 05.08.19 शीर्षक शीर्षक बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार एवम अन्य अंतर्गत इन शहरी जल निकायों में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) को प्रवाहित होने से रोकने एवम कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र प्रेषित किया गया था। (संलग्नक V)
5. इसी क्रम में आपके पत्र दिनांक 13.12.19 द्वारा यह अवगत करवाया गया की गाँधी सागर में जाने वाले घरेलु गंदे पानी की निकासी हेतु 300mm व्यास की सीवरेज लाइन डाली हुई है जिसके माध्यम से पानी को तालाब के आगे जाकर गंदे नाले में छोड़ा जाता है। (संलग्नक VI)
6. इसी क्रम में राज्य मंडल द्वारा दिनांक 13.12.19 को भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब इत्यादि में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) के प्रवाह की स्थिति बाबत किये गए सर्वे एवम सैंपलिंग के दौरान पाया गया कि :-
 - अ. गाँधी सागर तालाब में considerable मात्रा में आस पास की आवासीय बस्तियों से शहरी मल जल (SEWAGE) का प्रवाह आना पाया गया एवम
 - ब. तालाब में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने हेतु स्थापित 05 मे से 04 सतही areators बंद पाए गए। (संलग्नक VII)



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara.
Phone/Fax no. 01482-241159, E-Mail ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com



7. राज्य मंडल द्वारा दिनांक 13.12.19 को भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) के प्रवाह की स्थिति बाबत किये गए सर्वे एवम सैंपलिंग से पाया गया कि गाँधी सागर तालाब के जल नमूनों के विश्लेषण में COD(रासायनिक ऑक्सीजन मांग)-186 मिलीग्राम /लीटर, BOD(जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग)-53 मिलीग्राम /लीटर पायी गयी , जिससे यह प्रतिपादित होता है कि गाँधी सागर तालाब में आस पास की आवासीय बस्तियों से अनुपचारित शहरी मल जल (SEWAGE) के प्रवाह से इस सतही जल निकाय में जलीय जीवन हेतु वांछित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का क्षरण /नगण्य हो रही है एवम इसको रोकने हेतु आपके विभाग के स्तर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। (संलग्नक VIII)
8. क्षेत्रीय कार्यालय ,राज्य मंडल,भीलवाडा के पत्रांक दिनांक 13.07.2020 को नगर परिषद्, RUIDP एवम नगर सुधार न्यास को भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब एवम अन्य निकायों में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) के प्रवाह को रोकने , मल जल के उपचार संयंत्र /सीवर लाइन इत्यादि की प्रगति एवम इन शहरी सतही जल निकायों की जल गुणवत्ता में सुधार हेतु की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट एवम ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। (संलग्नक IX)
9. राज्य मंडल द्वारा भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब में अनुपचारित मल जल (SEWAGE) के प्रवाह की स्थिति बाबत किये गए सतत सर्वे एवम सैंपलिंग दिनांक 23.09.2020 के दौरान पाया गया कि :-
अ. शास्त्री नगर की ओर से बह रहे नाले लगे स्लुइस गेट के खुले होकर घरेलु मल जल गाँधी सागर तालाब में जाते हुए पाया गया।
ब. सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि गाँधी सागर तालाब में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने हेतु स्थापित 05 मे से 05 सतही areators बंद पाए गए।(संलग्नक X)
स. गाँधी सागर तालाब के जल नमूनों के विश्लेषण में COD(रासायनिक ऑक्सीजन मांग)-34.6 मिलीग्राम /लीटर, BOD(जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग)-4.5 मिलीग्राम /लीटर पायी गयी , जिससे यह प्रतिपादित होता है कि गाँधी सागर तालाब में आस पास की आवासीय बस्तियों से अनुपचारित शहरी मल जल (SEWAGE) के प्रवाह से इस सतही जल निकाय में जलीय जीवन हेतु वांछित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने हेतु आपके विभाग के स्तर से ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। (संलग्नक XI)
10. क्षेत्रीय कार्यालय ,राज्य मंडल,भीलवाडा के पत्रांक दिनांक 13.07.2020 के क्रम में आपके विभाग के पत्र दिनांक 04.11.20 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि गाँधी सागर में जाने वाले घरेलु गंदे पानी की निकासी हेतु 450 mm व्यास की सीवरेज लाइन डाली हुई है जो कि चम्बल परियोजना के तहत पाइप लाइन विस्तार के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी है एवम सिवरेज नेटवर्क के चालु होने के पश्चात गंदे पानी के तालाब में जाना बंद हो जाने बाबत बताया गया परन्तु सिवरेज नेटवर्क के चालु होने तक तालाब के जल गुणवत्ता बनाये रखने हेतु किसी ठोस वैकल्पिक कार्ययोजना / उपाय एवम क्षतिग्रस्त निकासी लाइन के दुरुस्त करने बाबत कोई रिपोर्ट आदिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।(संलग्नक XII)
11. यह भी उल्लेखनीय है कि आपके विभाग एवम RUIDP द्वारा सीवर नेटवर्क बिछाने एवम निर्माणाधीन शहरी मल जल उपचार संयंत्र (30 MLD) की कार्य पूर्ण होने के लक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि /समय सीमा बार बार आगे बढ़ाये जाने बाबत अवगत करवाया गया(संलग्नक XIII) :-

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य क्षमता	RUIDP पत्रांक द्वारा अवगत करायी गयी कार्य पूर्ण होने के लक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि /समय सीमा			
			18.01.19	13.12.19	15.07.20	24.09.20
1.	सीवर नेटवर्क	416.61 किलोमीटर	20.08.20	प्रगतिरत	31.12.21	31.12.21



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara.
Phone/Fax no. 01482-241159, E-Mail ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com



2.	शहरी मल जल उपचार संयंत्र निर्माण	30 MLD-01	31.10.19	सूचित नहीं की गयी।	30.06.21	30.06.21
3.	शहरी मल जल पम्पिंग स्थानक निर्माण	48 MLD-01	सूचित नहीं की गयी।	सूचित नहीं की गयी।	30.06.21	30.06.21

12. इसी क्रम में आवेदक श्री बाबूलाल जाजू द्वारा मा.एन.जी.टी., केंद्रीय आंचलिक न्यायपीठ, भोपाल में पूर्व प्रकरण मूल आवेदन संख्या OA-149/2014 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 787/2015 शीर्षक बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.05.2016 की अनुपालना नहीं होने बाबत एक्सकुयशन आवेदन संख्या EA-03/2020 दर्ज किया गया है एवम प्रकरण में मा.एन.जी.टी., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.10.19 में पारित आदेशिका द्वारा जवाबदाताओं को रिप्लाय /प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है जैसा की :-

Respondents are directed to submit their reply within six weeks by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

एवम प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 08.03.2021 को नियत है। (संलग्नक XIV)

उक्तानुसार नगर परिषद एवम अन्य संबन्धित एजेंसी द्वारा भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब एवम अन्य में अनुपचारित मल-जल (SEWAGE) के प्रवाह को रोकने, गांधीसागर तालाब में वांछित जल गुणवत्ता बनाये रखने, अनुपचारित शहरी मल-जल के शहरी मल-जल उपचार संयंत्र तक channelisation करने एवम निर्माणाधीन मल-जल उपचार संयंत्र एवम सीवर नेटवर्क के कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब होने से स्पष्ट होता है कि आप द्वारा जल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत जल निकायों की जल गुणवत्ता बनाये रखने हेतु राज्य मंडल द्वारा आपको समय समय पर जारी निर्देशों की पालना नहीं की जारी है एवम उपचारात्मक उपायों के क्रियान्वयन की गति भी धीमी है।

अतः आपको एतद द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों एवम पूर्व प्रकरण मूल आवेदन संख्या OA-149/2014 अंतर्गत विविध आवेदन संख्या 787/2015 शीर्षक बाबूलाल जाजू बनाम राज्य सरकार एवम अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 02.05.2016 की अनुपालना सुनिश्चित कर कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 01.03.2021 से पूर्व प्रस्तुत करे।

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,

रा. प्र.नि.मं, भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा को जिला कलेक्टर कार्यालय पत्रांक 46102 दिनांक 05.11.2020 के क्रम में सादर निवेदन है कि सम्बंधित विभाग (नगर परिषद् /नगर सुधार न्यास /RUIDP) को भीलवाडा शहर में अवस्थित जल निकायों यथा गाँधी सागर तालाब एवम अन्य में अनुपचारित मल-जल (SEWAGE) के प्रवाह को रोकने, गांधीसागर तालाब में वांछित जल गुणवत्ता बनाये रखने, अनुपचारित शहरी मल-जल के शहरी मल-जल उपचार संयंत्र तक channelisation करने एवम निर्माणाधीन मल-जल उपचार संयंत्र एवम सीवर नेटवर्क के कार्य के त्वरित रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करावें।



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल


RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara.

Phone/Fax no. 01482-241159, E-Mail ID: rorpcb.bhilwara@gmail.com



2. सचिव, नगर सुधार न्यास, भीलवाडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।
3. वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवम शाखा प्रभारी (LiquidWaste), रा. प्र.नि.मं, जयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।
4. शाखा प्रभारी (विधिक शाखा), रा. प्र.नि.मं, जयपुर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।
5. अधीक्षण अभियंता, RUIDP, फेज-III, 6/1026, शिव नगर, कुवाडा रोड, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि निर्माणाधीन मल -जल उपचार संयंत्र एवम सीवर नेटवर्क के कार्य के त्वरित रूप से पूर्ण करने की कार्यवाही करावें तथा आपके कार्यालय पत्र दिनांक 24.09.20 द्वारा निर्माणाधीन मल -जल उपचार संयंत्र/पम्पिंग स्थानक एवम सीवर नेटवर्क की प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की अपडेट /अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 28.02.2021 तक कार्यालय के ईमेल rorpcb.bhilwara@gmail.com पर प्रेषित करवाने का श्रम करावें ।


क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
रा. प्र.नि.मं, भीलवाडा